



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:- 108/2026  
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 53/88/48 आरटीए

सिमरजीत कौर पत्नी श्री मदन सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ़ (राज.)  
- वादीया

बनाम्

1. सरजीत सिंह पुत्र श्री मुकन्द सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. जगपाल सिंह पुत्र श्री बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. उमंग कौर पत्नी श्री सुखदीप सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. परनीतपाल कौर पत्नी श्री जगपाल सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. तसमीन सिदधु पुत्री श्री रमनदीप सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. अनुज जाखड़ पुत्र श्री धर्मपाल जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. इन्द्रा देवी पत्नी श्री धर्मपाल जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री धर्मपाल जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
10. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

उपस्थित :-


प्रतिवादीगण

1. श्री महावीर बेरड-वकील वादी
2. श्री कुलदीप मूण्ड -वकील प्रति.सं. 1 ता 9

निर्णय

दिनांक :- 20.4.2026

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53/88/48 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 एक ही सयुक्त परिवार के सदस्य है एवं प्रतिवादी सं. 7 ता 9 वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के एक ही चक 1 बी.जी.पी. के पडौसी काश्तकार है। वादीया के नाम से तहसील संगरिया के चक 1 बी.जी.पी. के एकल खाता सं. 144/21 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 2.430 है. कृषि भूमि, प्रतिवादी सं. 1 के नाम से इसी चक 1 बी.जी.पी. के एकल खाता सं. 106/96 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 2.530 है. कृषि भूमि, प्रतिवादी सं. 2 के नाम से इसी चक 1 बी.जी.पी. के एकल खाता सं. 38/47 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 0.

  
महायुक्त कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

759 है. कृषि भूमि, प्रतिवादी सं. 3 व 4 के नाम से इसी चक 1 बी.जी.पी. के खाता सं. 51/121 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75 में 6.224 है. कृषि भूमि, प्रतिवादी सं. 5 के नाम से इसी चक 1 बी.जी.पी. के एकल खाता सं. 42/23 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75 में 3.542 है. कृषि भूमि, प्रतिवादी सं. 6 के नाम से इसी चक 1 बी.जी.पी. के एकल खाता सं. 139/79 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75 में 0.506 है. कृषि भूमि तथा प्रतिवादी सं. 7 ता 9 के नाम से इसी चक 1 बी.जी.पी. के खाता सं. 141/79 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75 में 0.759 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंगन वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 9 की आराजी है। वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 9 ने कृषि भूमि के एकीकरण के लिए वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि का घरू विभाजन एवं तबादला अर्घी मन्दी अनुसार कर लिया था। मुताबिक घरू विभाजन एवं तबादलानुसार वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 9 काबिज होकर काश्त कर रहे है। मुताबिक घरू विभाजन एवं तबादलानुसार वादीया के नाम से तहसील संगरिया के चक 1 बी.जी.पी. के एकल खाता सं. 144/21 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75 में 2.430 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 को 0.785 है. कृषि भूमि का तथा प्रतिवादी सं. 2 को 0.759 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर वादीया का हिस्सा कम करवाना चाहते है इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 के नाम से इसी चक 1 बी.जी.पी. के एकल खाता सं. 106/96 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75 में 2.530 है. कृषि भूमि में से वादीया को 0.759 है. कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम करवाना चाहते है इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 2 के नाम से इसी चक 1 बी.जी.पी. के एकल खाता सं. 38/47 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75 में 0.759 है. कृषि भूमि की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 2 का नाम कलमजन करवाना चाहते है इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 3 व 4 के नाम से इसी चक 1 बी.जी.पी. के खाता सं. 51/121 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75 में 6.224 है. कृषि भूमि में से वादीया को 0.025 है. कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 3 व 4 का ब.हि.ब. हिस्सा कम करवाना चाहते है इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 5 के नाम से इसी चक 1 बी.जी.पी. के एकल खाता सं. 42/23 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75 में 3.542 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 6 को 0.253 है. कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 5 का हिस्सा कम करवाना चाहते है इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 6 के नाम से इसी चक 1 बी.जी.पी. के एकल खाता सं. 139/79 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75 में 0.506 है. कृषि भूमि के प्रतिवादी सं. 7 ता 9 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 6 का नाम कलमजन करवाना चाहते है तथा इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 7 ता 9 के नाम से इसी चक 1 बी.जी.पी. के खाता सं. 141/79 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75 में 0.759 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 6 को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 7 ता 9 का ब.हि.ब. कम करवाना चाहते है इसी तरह की

संगरिया  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया



शोकनात्मक शिजी वादीया प्राप्त करने के अधिकारी एवं दावेदार है। नाव पत्र की चरण सं २ से दर्जित कृषि भूमि में जो कि संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि है। जिसमें वादीया का हि.१ एवं स्वतंत्र भिहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादीया के नाम से बंटवारा एवं तबादलानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण तथा प्रतिवादीया के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्ययों पर खर्च करने के कारण वादीया व प्रतिवादीया के मध्य विवाद हो गया व आपरा में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादीया व प्रतिवादी सं. १ ता ७ के मध्य राजीनामा व बंटवारा करना दिया। वादीया एवं प्रतिवादीया सं. १ ता ७ को बंटवारा एवं तबादला में प्राप्त कृषि भूमि विभाजन अनुसार निम्न प्रकार से प्राप्त हुई है :-

(क) वादीया शिमरजीत कौर पत्नी श्री मदन सिंह जाति जटसिख निवारी द्वाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक १ बी.जी.पी. खाता सं. १४४/२१ जमाबन्दी सम्वत् २०७२-७५

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.	
२१६/१३०	४	३/२/०.१२७ है.	८.१३.१४/०.२५३ है.प्र.
			कुल ०.८८६ है. कृषि भूमि

चक १ बी.जी.पी. खाता सं. ३८/४७ जमाबन्दी सम्वत् २०७२-७५

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.	
२१९/१४१	६०	१५.२५/०.२५३ है.प्र.	
२२०/१४१	६१	२१/०.२५३ है.	
			कुल ०.७५९ है. कृषि भूमि

चक १ बी.जी.पी. खाता सं. १०६/९६ जमाबन्दी सम्वत् २०७२-७५

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.	
२१९/१४१	६०	१६/०.२५३ है.	
२२०/१४१	६१	११.२०/०.२५३ है.प्र.	
			कुल ०.७५९ है. कृषि भूमि

चक १ बी.जी.पी. खाता सं. ५१/१२१ जमाबन्दी सम्वत् २०७२-७५

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.	
२२०/१३९	४६	२१/१/०.०२५ है.(किला की पूर्वी दिशा में)	
			कुल ०.०२५ है. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. १ सरजीत सिंह पुत्र श्री मुकन्द सिंह जाति जटसिख निवारी द्वाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक १ बी.जी.पी. खाता सं. १०६/९६ जमाबन्दी सम्वत् २०७२-७५

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.	
२१९/१४०	५१	११ता१४,१९,२०,२१/०.२५३ है.प्र.	
			कुल १.७७१ है. कृषि भूमि

चक १ बी.जी.पी. खाता सं. १४४/२१ जमाबन्दी सम्वत् २०७२-७५

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.	
२२०/१३९	४६	३.४/०.२५३ है.प्र., ५/१/०.०३८ है., ५/२/०.०२६ है., ६/१/०.१९० है., ६/२/०.०२५ है.	
			कुल ०.७८५ है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. २ जगपाल सिंह पुत्र श्री बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवारी द्वाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

एव  
अपवाद अधिकारी  
संगरिया





चक 1 बी.जी.पी. खाता सं. 144/21 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75  
प.नं. मु.नं. कि.नं.  
220/139 46 7.8.9/0.253 है.प्र.

(घ) प्रतिवादी सं. 3 व 4 क्रमशः उमंग कौर पत्नी श्री सुखदीप सिंह व परनीतपाल कौर पत्नी श्री जगपाल सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.व. कृषि भूमि :-  
चक 1 बी.जी.पी. खाता सं. 151/121 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

219/138 36 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., 25/1/0.228 है.,  
25/2/0.025 है.  
219/139 45 4/0.253 है., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,  
6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 7.14/0.253 है.प्र.,  
15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है.,  
16/2/0.025 है., 17/0.253 है., 21/1/0.215 है.,  
21/2/0.038 है., 22/1/0.215 है., 22/2/0.038 है.,  
23/1/0.215 है., 23/2/0.038 है., 24/1/0.215 है.,  
24/2/0.038 है., 25/1/0.190 है., 25/2/0.063 है.  
220/138 35 11,12/0.253 है.प्र., 13/0.051 है., 18/0.215 है.,  
19ता23/0.253 है.प्र., 24/0.139 है.  
220/139 46 21/1/0.190 है.(किला की परिचमी दिशा में),  
21/2/0.038 है.

(च) प्रतिवादी सं. 5 जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 1 बी.जी.पी. खाता सं. 42/23 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75  
प.नं. मु.नं. कि.नं.  
218/139 44 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., 24/0.253 है.,  
25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.  
219/139 45 8,12,13,18,19,20/0.253 है.प्र.  
219/140 51 17,18,23,24/0.253 है.प्र.  
कुल 3.289 है. कृषि भूमि

(छ) प्रतिवादी सं. 6 तसमीन सिदघु पुत्री श्री रमनदीप सिंह जाति जटसिख निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 1 बी.जी.पी. खाता सं. 42/23 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75  
प.नं. मु.नं. कि.नं.  
220/139 46 14/0.253 है.  
कुल 0.253 है. कृषि भूमि

चक 1 बी.जी.पी. खाता सं. 141/79 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75  
प.नं. मु.नं. कि.नं.  
220/139 46 13/0.253 है.  
कुल 0.253 है. कृषि भूमि

(ज) प्रतिवादी सं. 7 ता 9 क्रमशः अनुज जाखड़ पुत्र श्री धर्मपाल, इन्द्रा देवी पत्नी श्री धर्मपाल व विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री धर्मपाल समस्त जाति जाट निवासीगण ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.व. कृषि भूमि :-

चक 1 बी.जी.पी. खाता सं. 141/79 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

महेश्वर एव  
संगरिया जिला  
संगरिया

प.नं. 220/139 मु.नं. 46 कि.नं. 19.20/0.253 है.प्र.  
कुल 0.506 है. कृषि भूमि  
चक 1 बी.जी.पी. खाता सं. 139/79 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75  
प.नं. 220/139 मु.नं. 46 कि.नं. 11.12/0.253 है.प्र.  
कुल 0.506 है. कृषि भूमि



वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 9 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि है जिसमें वादीया का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीया तबादला एवं बंटवारानुसार खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीया एवं प्रतिवादी 1 ता 9 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि है जिसमें वादीया का हित एवं स्वत्व निहित है। वादीया ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीया को बंटवारा एवं तबादलानुसार खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर गत सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 1 ता 9 के नाम से उक्त कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड होने के कारण तथा प्रतिवादीया सं. 10 को भू-धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद वादीया प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीया निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि मुताबिक बंटवारा एवं तबादलानुसार वादीया के नाम से तहसील संगरिया के चक 1 बी.जी.पी. के एकल खाता सं. 144/21 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75 में 2.430 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 को 0.785 है. कृषि भूमि का तथा प्रतिवादी सं. 2 को 0.759 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर वादीया का हिस्सा कम किया जावे इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 के नाम से इसी चक 1 बी.जी.पी. के एकल खाता सं. 106/96 जमाबन्दी. सम्बत् 2072-75 में 2.530 है. कृषि भूमि में से वादीया को 0.759 है. कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 2 के नाम से इसी चक 1 बी.जी.पी. के एकल खाता सं. 38/47 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75 में 0.759 है. कृषि भूमि की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 2 का नाम कलमजन करवाना चाहते है इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 3 व 4 के नाम से इसी चक 1 बी.जी.पी. के खाता सं. 51/121 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75 में 6.224 है. कृषि भूमि में से वादीया को 0.025 है. कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 3 व 4 का ब.हि.ब. हिस्सा कम किया जावे इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 5 के नाम से इसी चक 1 बी.जी.पी. के एकल खाता सं. 42/23 जमाबन्दी

महश्वर कलक्टर एवं  
उपस्थित अधिकारी  
संगरिया

सन् 2072-75 में 3.542 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 6 को 0.253 है. कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 5 का हिस्सा कम किया जावे इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 6 के नाम से इसी चक 1 बी.जी.पी. के एकल खाता सं. 139/79 जमाबन्दी सन् 2072-75 में 0.506 है. कृषि भूमि के प्रतिवादी सं. 7 ता 9 को ब.हि.व. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 6 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 7 ता 9 के नाम से इसी चक 1 बी.जी.पी. के खाता सं. 141/79 जमाबन्दी सन् 2072-75 में 0.759 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 6 को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 7 ता 9 का ब.हि.व. हिस्सा कम किया जावे एवं वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीया का खाता अलग से कायम किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिग्नेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 जरिये अधिवक्ता अपना जवाब दावा मय आईडी की चित्रप्रति स्वहस्ताक्षरित पेश की गई जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 10 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादीया सिमरजीतकोर का शपथ-पत्र अर्न्तगत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया, और साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द की गई। वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा, इस पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। वकील वादी द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी निम्नानुसार प्रदर्श/प्रस्तुत किये गये :-

1. चक 1 बीजीपी. खाता संख्या 144/21 ज.स. 2072-75 प्रदर्श-1
2. चक 1 बीजीपी खाता संख्या 106/96 ज.स. 2072-75 प्रदर्श-2
3. चक 1 बीजीपी खाता संख्या 38/47 ज.स. 2072-75 प्रदर्श-3
4. चक 1 बीजीपी खाता संख्या 51/121 ज.स. 2072-75 प्रदर्श-4
5. चक 1 बीजीपी खाता संख्या 42/23 ज.स. 2072-75 प्रदर्श-5
6. चक 1 बीजीपी खाता संख्या 139/79 ज.स. 2072-75 प्रदर्श-6



बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वादी अधिवक्ता ने कथन किया कि वादीया के वाद पत्र का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया है। प्रकरण में सहमति का जवाबदावा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादीया मुताबिक सहमति के जवाब दावा अनुसार डिक्री किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के अभिभाषक ने बहस में वाद पत्र डिक्री करने पर अपनी सहमति दी।

हमारे द्वारा बहस पर मनन किया गया व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण सहकाश्तकारों के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं

प्रतिवादीगण के मध्य अपनी जमीनों को इकठा करने के उद्देश्य से तबादलानामा किया जाना प्रकट होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 49 में यह प्रावधान है कि कोई खातेदार अभिधारी किसी ऐसे क्षेत्र का जिसे वह जोतता है, समेकन करना चाहे तो किसी अन्य खातेदार अभिधारी से जोड़ी जाने वाली भूमि का विनिमय कर सकेगा। प्रकरण हाजा में तबादला के अधीन आराजी की किरम एक सम्मान नहीं है विनिमय होने वाली आराजी की हीएलसी दर भिन्न होने की स्थिति में यदि कोई अन्तर राशि वसूली योग्य है तो पक्षकारान उसका भुगतान करेंगे। वाद पत्र को कोई विरोध हमारे सामने नहीं आने से वाद पत्र मुताबिक अनुतोष डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

### क्रियात्मक आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र निम्नानुसार डिकी किया जाता है कि -  
 - मुताबिक बंटवारा एवं तबादलानुसार वादीया के नाम से तहसील संगरिया के चक 1 बी. जी.पी. के एकल खाता सं. 144/21 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 2.430 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 को 0.785 है. कृषि भूमि का तथा प्रतिवादी सं. 2 को 0.759 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर वादीया का हिस्सा कम किया जावे इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 के नाम से इसी चक 1 बी.जी.पी. के एकल खाता सं. 106/96 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 2.530 है. कृषि भूमि में से वादीया को 0.759 है. कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 2 के नाम से इसी चक 1 बी.जी.पी. के एकल खाता सं. 38/47 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 0.759 है. कृषि भूमि की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 2 का नाम कलमजन करवाना चाहते है इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 3 व 4 के नाम से इसी चक 1 बी.जी.पी. के खाता सं. 51/121 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 6.224 है. कृषि भूमि में से वादीया को 0.025 है. कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 3 व 4 का ब.हि.ब. हिस्सा कम किया जावे इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 5 के नाम से इसी चक 1 बी.जी.पी. के एकल खाता सं. 42/23 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 3.542 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 6 को 0.253 है. कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 5 का हिस्सा कम किया जावे इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 6 के नाम से इसी चक 1 बी.जी.पी. के एकल खाता सं. 139/79 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 0.506 है. कृषि भूमि के प्रतिवादी सं. 7 ता 9 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 6 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 7 ता 9 के नाम से इसी चक 1 बी.जी.पी. के खाता सं. 141/79 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 0.759 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 6 को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 7 ता 9 का ब.हि.ब. हिस्सा कम किया जाकर वादीया एवं प्रतिवादीगण का खाता निम्नानुसार अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है-

सहायक कलेक्टर एवं  
 अधिवक्ता  
 संगरिया



(क) वादीया सिमरजीत कौर पत्नी श्री मदन सिंह जाति जटसिख निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-  
चक 1 बी.जी.पी. खाता सं. 144/21 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं. मु.नं. कि.नं.

216/130 4 3/2/0.127 है. 8,13,14/0.253 है.प्र.कुल 0.886 है. कृषि भूमि

चक 1 बी.जी.पी. खाता सं. 38/47 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं. मु.नं. कि.नं.

219/141 60 15.25/0.253 है.प्र.

220/141 61 21/0.253 है.कुल 0.759 है. कृषि भूमि

चक 1 बी.जी.पी. खाता सं. 106/96 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं. मु.नं. कि.नं.

219/141 60 16/0.253 है.

220/141 61 11.20/0.253 है.प्र. कुल 0.759 है. कृषि भूमि

चक 1 बी.जी.पी. खाता सं. 51/121 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं. मु.नं. कि.नं.

220/139 46 21/1/0.025 है.(किला की पूर्वी दिशा में)कुल 0.025 है. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 1 सरजीत सिंह पुत्र श्री मुकन्द सिंह जाति जटसिख निवासी ढावां तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-  
चक 1 बी.जी.पी. खाता सं. 106/96 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं. मु.नं. कि.नं.

219/140 51 11ता 14,19,20,21/0.253 है.प्र. कुल 1.771 है. कृषि भूमि

चक 1 बी.जी.पी. खाता सं. 144/21 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं. मु.नं. कि.नं.

220/139 46 3,4/0.253 है.प्र., 5/1/0.038 है., 5/2/0.026 है.,  
6/1/0.190 है., 6/2/0.025 है.

कुल 0.785 है. मय नै.मु. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 2 जगपाल सिंह पुत्र श्री बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-  
चक 1 बी.जी.पी. खाता सं. 144/21 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं. मु.नं. कि.नं.

220/139 46 7,8,9/0.253 है.प्र. कुल 0.759 है. कृषि भूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 3 व 4 क्रमशः उमंग कौर पत्नी श्री सुखदीप सिंह व परनीतपाल कौर पत्नी श्री जगपाल सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.व. कृषि भूमि :-  
चक 1 बी.जी.पी. खाता सं. 151/121 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं. मु.नं. कि.नं.

219/138 36 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., 25/1/0.228 है.,  
25/2/0.025 है.

219/139 45 4/0.253 है., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,  
6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 7,14/0.253 है.प्र.,  
15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है.,  
16/2/0.025 है., 17/0.253 है., 21/1/0.215 है.,  
21/2/0.038 है., 22/1/0.215 है., 22/2/0.038 है.,  
23/1/0.215 है., 23/2/0.038 है., 24/1/0.215 है.,  
24/2/0.038 है., 25/1/0.190 है., 25/2/0.063 है.

220/138 35 11,12/0.253 है.प्र., 13/0.051 है., 18/0.215 है.,  
19 ता 23/0.253 है.प्र., 24/0.139 है.

220/139 46 21/1/0.190 है.(किला की पश्चिमी दिशा में),  
21/2/0.038 है. कुल 6.199 है. कृषि भूमि



(घ) प्रतिवादी सं. 5 जसविन्द सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति जाटसिख निवासी द्वारा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिरसा व कब्जाकास्त की कृषि भूमि :-

चक 1 बी.जी.पी. खाता सं. 42/23 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75	प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
	218/139	44	16/1/0.228 है, 16/2/0.025 है, 24/0.253 है, 25/1/0.228 है, 25/2/0.025 है.
	219/139	45	8,12,13,18,19,20/0.253 है.प्र.
	219/140	51	17,18,23,24/0.253 है.प्र.
			कुल 3.289 है. कृषि भूमि

(ङ) प्रतिवादी सं. 6 तरामीन सिद्धु पुत्री श्री रमनवीप सिंह जाति जाटसिख निवासी द्वारा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिरसा व कब्जाकास्त की कृषि भूमि :-

चक 1 बी.जी.पी. खाता सं. 42/23 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75	प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
	220/139	46	14/0.253 है. कुल 0.253 है. कृषि भूमि

चक 1 बी.जी.पी. खाता सं. 141/79 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75	प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
	220/139	46	13/0.253 है. कुल 0.253 है. कृषि भूमि



(ज) प्रतिवादी सं. 7 ता 9 क्रमशः अनुज जाखड़ पुत्र श्री धर्मपाल, इन्दा देवी पत्नी श्री धर्मपाल व विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री धर्मपाल समस्त जाति जाट निवासीगण द्वारा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिरसा व कब्जाकास्त की व.हि.व. कृषि भूमि :-

चक 1 बी.जी.पी. खाता सं. 141/79 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75	प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
	220/139	46	19,20/0.253 है.प्र. कुल 0.506 है. कृषि भूमि

चक 1 बी.जी.पी. खाता सं. 139/79 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75	प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
	220/139	46	11,12/0.253 है.प्र. कुल 0.506 है. कृषि भूमि

अतः उक्तानुसार पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फंसाल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 26.4.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपसंचालक संगरिया जिला  
राजस्थान